अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	5392,00,00		5392,04,00	4618,64,16	-773,39,84
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,23,80

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2415” कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	Major Head “2415” Agricultural Research and Education				
मू.	O.	506618.00			
पू.	S.	3.00	529136.20	461507.21	-67628.99
पु.	R.	22515.20			
मुख्य शीर्ष “2552” उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas				
मू.	O.	32200.00			
पू.	S.	1.00	9562.00	..	-9562.00
पु.	R.	-22639.00			

(I) ₹35209.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹35201.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹35209.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) remained wholly unutilized under fifteen heads; of these ₹35201.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2415” - “सामान्य - अन्य संस्थाओं को सहायता”-

(A) Major Head “2415”- “General-Assistance to Other Institutions”-

(क) "केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को सहायता अनुदान" - ₹2000.00 लाख बारहवीं योजना ईएफसी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के सृजन के लिए विधेयक को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ख) "केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान" - ₹1000.00 लाख केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"

(क) "फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(i) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹1200.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(ii) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹1400.00 लाख;

(iii) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹5800.00 लाख;

(iv) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹2000.00 लाख;

(v) "बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें - कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹1001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(a) "Grants-in-Aid to Central Agricultural University, Bundelkhand" – ₹2000.00 lakhs - due to reduction of provision at the revised estimates stage owing to delay in finalisation of XII Plan EFC praposals and non-approval of bill for creation of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi.

(b) "Grants-in-Aid to Central Agricultural University, Bihar" – ₹1000.00 lakhs – due to non-finalisation of Memorandum of Understanding of the Central Agricultural University.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Crop Husbandry –Assistance to I.C.A.R."-

(i) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - ₹1200.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes"- ₹1400.00 lakhs;

(iii) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes"- ₹5800.00 lakhs;

(iv) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes"- ₹2000.00 lakhs;

(v) "Externally Aided Projects/Schemes - Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes"- ₹1001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(vi) "कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹300.00 लाख;

(ख) "मृदा और जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता"-

(i) "अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि - वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹4500.00 लाख;

(ii) "जलवायु अनुकूल कृषि का सूत्रपात" - ₹1000.00 लाख;

(ग) "पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - पशु विज्ञान संस्थान, डेरी अनुसंधान संस्थानों और स्कीमों सहित अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें - ₹2000.00 लाख; और

(घ) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मत्स्य पालन सहायता - मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें"- ₹500.00 लाख।

(ङ) "सामान्य - कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें"-

(i) "केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान सामान्य"- ₹10500.00 लाख।

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और बारहवीं योजना ईएफसी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vi) "Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes"- ₹300.00 lakhs;

(b) "Soil and Water Conservation –Assistance to I.C.A.R." –

(i) "Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes"- ₹4500.00 lakhs;

(ii) "Climate Resilient Agriculture Initiative" – ₹1000.00 lakhs;

(c) "Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes"- ₹2000.00 lakhs; and

(d) "Fisheries Assistance to ICAR – Fisheries Institutes, Research and Education Schemes"- ₹500.00 lakhs.

(e) "General –Agricultural Research and Education Schemes" –

(i) "Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Imphal" - ₹10500.00 lakhs.

Provisions under the above ten heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of less proposals from the North Eastern Region owing to non-finalisation of XII Plan EFC proposals.

(ii) "केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बारापानी को सहायता अनुदान सामान्य" - ₹2000.00 लाख बारहवीं योजना ईएफसी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "फसल कृषि कर्म" -

(क) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(i) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹4381.00 लाख की बचत (₹106768.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बारहवीं योजना ईएफसी को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ii) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹9491.00 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹47924.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बारहवीं योजना ईएफसी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने और सेवाओं की नई लिखतों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(iii) "कृषि, बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रबंधन संबंधी कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड और सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन" - ₹10228.00 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹34022.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बारहवीं योजना ईएफसी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में

(ii) "Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Barapani"- ₹2000.00 lakhs – due to non-finalisation of XII Plan EFC proposals.

(II) Under Major Head "2415" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Crop Husbandry"-

(a) "Assistance to I.C.A.R."-

(i) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹4381.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹106768.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to delay in finalization of XII Plan EFC proposals and slow pace of work owing to non-finalisation of proposals.

(ii) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹9491.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹47924.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to delay in finalization of XII Plan EFC proposals and non-finalisation of new instrument of services.

(iii) "ICAR Headquarter Administration including Agricultural Scientists Recruitment Board and Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management"- saving of ₹10228.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹34022.00 lakhs including

विलम्ब होने, प्रेक्षागृह के निर्माण की धीमी प्रगति होने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(iv) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें"- ₹2803.00 लाख की बचत (दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹59557.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(v) "कृषि में आधारभूत, रणनीतिक और सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय निधि"- ₹2500.00 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य परियोजनाएं कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(vi) "कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹560.00 लाख की बचत (₹4197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(vii) "कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें"- ₹2647.00 लाख की बचत (₹15797.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बारहवीं योजना ईएफसी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to delay in finalization of XII Plan EFC proposals, slow progress of construction of auditorium and receipt of less proposals.

(iv) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes"- saving of ₹2803.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹59557.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012) was due to receipt of less proposals from various State Agricultural Universities.

(v) "National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture" – saving of ₹2500.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable projects.

(vi) "Agricultural Economics and Statistics Institutes, Research and Education Schemes"- saving of ₹560.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4197.00 lakhs); and

(vii) "Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes"- saving of ₹2647.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15797.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow pace of work owing to non-finalisation of XII Plan EFC proposals.

(viii) “राष्ट्रीय जैव प्रभाव प्रबंधन संस्थान” - ₹1900.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ix) “भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान” - ₹1800.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम के स्थापना चरण पर होने की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना”-

(i) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें”- ₹200.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें”- ₹1300.00 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें ईएफसी प्रस्तावों में विलम्ब होने/उन्हें अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(खा) “मृदा और जल संरक्षण”-

(क) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधान प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें”- ₹1500.00 लाख की बचत (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बारहवीं योजना ईएफसी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -

(viii) “National Institute for Biotic Stress Management”- saving of ₹1900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(ix) “Indian Institute of Agricultural Biotechnology” - saving of ₹1800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow pace of work owing to scheme being at establishment stage.

(b) “Tribal Area Sub Plan” -

(i) “Crop Science Institute, Research and Education schemes” - saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs); and

(ii) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹1300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay/non-finalisation of EFC proposals.

(B) “Soil and water Conservation” –

(a) “Tribal Area Sub-Plan - Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Schemes”- saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals owing to non-finalisation of XII Plan EFC proposals.

(b) “Assistance to ICAR”-

(i) "केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹578.00 लाख की बचत (₹4132.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और स्कीमें" - ₹4649.00 लाख की बचत (₹47326.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "जलवायु अनुकूल कृषि का सूत्रपात" - ₹2500.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "पशु पालन"-

(क) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - डेरी अनुसंधान संस्थानों और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें"- ₹3471.00 लाख की बचत (₹63636.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - डेरी अनुसंधान संस्थानों और स्कीमों सहित पशु विज्ञान, संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹300.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बारहवीं योजना ईएफसी प्रस्तावों की वजह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) "मत्स्य पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा

(i) "Central Soil and Water Conservation Institutes, Research and Education Schemes"– saving of ₹578.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4132.00 lakhs);

(ii) "Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Schemes"- saving of ₹4649.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47326.00 lakhs);

(iii) "Climate Resilient Agriculture Initiative" – saving of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs); and

(C) "Animal Husbandry"-

(a) "Assistance to ICAR - Animal Science Institutes, Research and Education schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" – saving of ₹3471.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹63636.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-finalisation of proposals.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" – saving of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals owing to XII Plan EFC proposals.

(D) "Fisheries – Assistance to ICAR - Fisheries Institutes, Research and Education Schemes" –

स्कीमें"- ₹2703.00 लाख की बचत (₹31262.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

saving of ₹2703.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31262.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(ङ) "सामान्य - अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंधी परामर्शी समूह को भारत की सदस्यता का अंशदान" - ₹1100.25 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत की सदस्यता के अंशदान पर प्रतिबंध लगा होने के कारण हुई।

(E) "General – International Cooperation – India's Membership contribution to Consultative Group on International Agril. Research" – saving of ₹1100.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to restriction on India's membership contribution.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹260.00 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक थीं।

(III) Under three heads savings of ₹260.00 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 25 percent to 67 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹13644.77 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2415" - "फसल कृषि कर्म" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2013 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹13644.77 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in March, 2013 under Major Head "2415" – "Crop Husbandry" – under the following heads:-

(का) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(A) "Assistance to I.C.A.R" –

(क) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹8406.77 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1423.00 लाख था।

(a) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" – ₹8406.77 lakhs. Actual excess, however, was ₹1423.00 lakhs.

(ख) "राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना/बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें" - ₹4738.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2400.00 लाख था।

(b) "National Agricultural Innovation Project/Externally Aided Projects/Schemes" – ₹4738.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2400.00 lakhs.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना/बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें" - ₹500.00 लाख।

(B) "Tribal Area Sub-Plan – National Agricultural Innovation Project/Externally Aided Projects/Schemes" –₹500.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2415" - "सामान्य - अन्य संस्थाओं को सहायता - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2415" –"General - Assistance to

को सहायता अनुदान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्‌वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹8499.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

other Institutions - Grants-in–aid to Central Agricultural University, Imphal" - excess of ₹8499.00 lakhs (against nil provision) was due to reappropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.